लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3490

16 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का निर्यात एवं आयात

3490. सुश्री प्रतिमा भौमिकः

श्री भगवंत खुबाः

श्री देवजी पटेलः

श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा निर्यात तथा आयात किए गए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल के वर्षों के दौरान ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों के मूल्य में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप स्टील विनिर्माता विशेषकर लघु पैमाने पर भारतीय बाजार में कार्य नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन छोटे इस्पात यूनिटों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में लघु इस्पात कंपनियों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारतीय फर्मों द्वारा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के आयात व निर्यात की मात्रा का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(मात्रा टन में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2016-17	62576	4057
2017-18	82476	5207
2018-19	75875	8276
अप्रैल, 2019 - जनवरी, 2020	46051	11608

स्रोत: डीजीएफटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(ख) और (ग): हाल के वर्षों में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कीमतों में वैश्विक तथा स्वदेशी, दोनों बाजारों में उतार-चढ़ाव का रुख देखा गया है। हालांकि, वर्ष 2017 के उत्तरार्द्ध में कीमतों में वृद्धि हुई और यह वृद्धि लगभग वर्ष 2018 के अंत तक बनी रही, परंतु वर्ष 2019 में कीमतों में कमी आई। चूंकि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, अतः ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कीमतों का इस्पात विनिर्माताओं पर प्रभाव ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आपूर्तिकर्ताओं के साथ की गई वाणिज्यिक समझौतों पर निर्भर करता है। बहरहाल, इस्पात उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और इस्पात की वस्तुओं की कीमतों पर निगरानी रखती है और तद्नुसार समय-समय पर वित्त मंत्रालय से आधारभूत सीमा शुल्क में परिवर्तन करने की उपयुक्त अनुशंसा की जाती है।

(घ): देश में लघु इस्पात कंपनियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, स्वदेशी लौह व इस्पात उत्पाद प्रापण (डीएमआई एंड एसपी) नीति, स्टील स्क्रैप पॉलिसी, इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) की शुरुआत करने के साथ-साथ कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, ऊर्जा की कम खपत वाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, छोटी इस्पात कंपनियों के निष्पादन में सुधार करने की दिशा में प्रयास जारी रखा है। इस्पात मंत्रालय ने सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से लोहा व इस्पात उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अनुसंधान व विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इस्पात अनुसंधान व प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) की शुरुआत करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।

****